

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2019—वैशाख 6, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019

क्र. एफ-1-5-2011-एक-(1).—राज्य शासन, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ-1-5-2011-एक-(1), दिनांक 14 जून 2017, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14 जून 2017 में प्रकाशित हुई थी, को रद्द करता है, तथा राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-5-2011-एक-(1), दिनांक 23 दिसम्बर 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 20 में, शब्द “मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त” के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“अध्यक्ष, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019

क्र. एफ-1-5-2011-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-5-2011-एक-(1), दिनांक 26 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th April 2019

No. F-1-5-2011-One (1).—The State Government, hereby rescinds the Notification No. F-1-5-2011-One (1), dated 14th June 2017 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 14th June, 2017 and the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-1-5-2011-One (1), dated 23rd December, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in serial number 20, after the words “Madhya Pradesh State Election Commissioner”, the following words shall be inserted, namely:—

“Chairperson, Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority,”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

K. K. KATIYA, Addl. Secy.